मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 8-2/2020/41-2 भोपाल, दिनांक 28 /05/2024

प्रति,

अपर महानिदेशक (एमपीएलएसए),
भारत सरकार, दूरसंचार विभाग,
संचार भवन, मध्यप्रदेश,
अरेरा हिल्स, भोपाल।

विषय :- राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक दिनांक 28/03/2024 का कार्यवाही विवरण।

उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य ब्रॉडबैंड मिशन समिति की बैठक दिनांक 28/03/2024 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक का अनुमोदित कार्यवाही विवरण जारी किये जाने हेतु संलग्न है।

कृपया संलग्न कार्यवाही विवरण जारी करने का अनुरोध है।

<u>संलग्न :- उपरोक्तानुसार</u>

28/05/2024
(जगन्नाथ बालोदिया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

//कार्यवाही विवरण//

मध्यप्रदेश में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित **राज्य ब्रॉडबैंड समिति** की बैठक दिनांक 28 मार्च, 2024 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का उपस्थिति पत्रक **परिशिष्ट-1** पर व्यवस्थित है।

बैठक में प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मध्यप्रदेश में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन के संबंध में विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाहियों/प्रयासों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। बैठक में उपस्थित अपर महानिदेशक (MPLSA) श्री आनन्द खरे द्वारा दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदेश में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में दूरसंचार विभाग की भूमिका से अवगत कराया तथा भारत सरकार द्वारा जारी दूरसंचार नीति, RoW नीति तथा कॉमन डक्ट नीति Call Before you Dig (CBuD) आदि के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के बारे में समिति को संक्षिप्त में जानकारी प्रदान की गई।

श्री राधेश्याम परमार, उप महानिदेशक (MPLSA), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा समिति को अवगत कराया कि प्रदेश में नागरिकों को दूरसंचार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा तत्परता के साथ सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नागरिकों को नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में दूरंसचार सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने के लिए प्राथमिकता से कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में राज्य शासन के अन्य संबंधित विभागों में वन, नगरीय विकास एवं आवास, ऊर्जा, लोक निर्माण, पर्यावरण, आदि द्वारा प्रदेश में दूरसंचार नीति के

क्रियान्वयन में समय-समय पर किये जा रहे अपेक्षित समन्वय/सहयोग की प्रशंसा की गई। बैठक में उपस्थित दूरसंचार सेवाप्रदाता एसोशियेसन DIPA, ISPA एवं COAI के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य में दूरसंचार अवसंरचनाओं की स्थापना के कार्यों की चुनौतियों से समिति को अवगत कराते हुए नीति के प्रावधानों के अनुरूप समय-समय पर आवश्यकतानुसार यथा संभव अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव, वन विभाग द्वारा अवगत कराया कि वन विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जा रहा है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा सचिव, ऊर्जा विभाग, सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया कि उनके विभागों से संबंधित प्रकरणों पर भी तत्परता से निर्णय लिये जाते हैं।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के बिन्दुओं में सबसे पहले प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा **राज्य ब्रॉडबैंड समिति** की बैठक दिनांक 28/12/2021 के पालन प्रतिवेदन (**परिशिष्ट-2**) से समिति को अवगत कराया तत्पश्चात एजेण्डावार प्रस्तुतिकरण किया गया।

समिति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया कि समिति की पिछली बैठक के अधिकांश बिन्दुओं का समाधान कर लिया गया है।

बैठक में चर्चा के दौरान प्राप्त सुझावों पर विचार कर समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1. CuBD का उपयोग अनिवार्य किये जाने के संबंध में समिति द्वारा दूरसंचार विभाग (MPLSA) तथा BSNL को निर्देशित किया कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है इसके लिए जागरूकता लाने हेतु संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विभागों एवं अन्य संस्थाओं/ एजेन्सियों के साथ कार्यशाला आयोजित की जाये।

   (**कार्यवाही** - दूरसंचार विभाग (MPLSA) तथा BSNL एवं सेवाप्रदाता संस्थायें)

2. समिति द्वारा 4G saturation Project, LWE Phase-2, USOF 502 Project, Forest RoW permissions आदि से संबंधित प्रकरणों में उल्लेखनीय प्रगति पर सराहना व्यक्त की गई तथा शेष लंबित प्रकरणों में शीघ्र निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये।

(**कार्यवाही** - दूरसंचार विभाग, वन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत संचार निगम लि.)

3. **Permission of digging and cabling during monsoon period.**

समिति द्वारा उक्त समस्या के निराकरण के संबंध में संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही करने का सुझाव दिया।

(**कार्यवाही** - संबंधित विभाग एवं सेवाप्रदाता संस्थायें)

4. Safety and security of telecom infrastructure के संबंध में गृह विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(**कार्यवाही** - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं गृह विभाग तथा संबंधित एजेंसी)

5. Provision of EB connection on priority and at Industrial Tariff

इस संबंध में ऊर्जा विभाग को नियमानुसार कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया।

(**कार्यवाही** - ऊर्जा विभाग)

6. Review of FRA - 2006 (Forest Reserved Act) - Forest Department is rejecting cases if tree felling is > 2 trees for 0.0232 hectare land -

इस संबंध में समिति द्वारा FRA - 2006 के अनुरूप कार्यवाही करने का सुझाव दिया।

(**कार्यवाही** - वन विभाग)

7. **Exemption of Electrical Safety permission for DG up to 500 KVA -**

Status : Exemption of DG Electrical Safety Permission of DGs up to 100 KVA for Mobile Tower site has already given in existing policy guidelines. Energy Department agreed to examine the request.

8. Online facility of Power load upgradation/changes/correction in the bills -

   समिति द्वारा निर्देशित किया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं ऊर्जा विभाग परीक्षण कर उक्त सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाये।

   (**कार्यवाही** - ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

9. Remote Monitoring Access of AMR (Automatic Meter Reading) and Smart Meter to TSPs/ISPs -

   प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा अवगत कराया कि यह विषय ऊर्जा विभाग अंतर्गत विचाराधीन है।

10. Facility for Direct permanent connection to site and in case if temporary connection provided then same shall be converted into permanent connection within 15 days time. All formalities and documentation part should be complete at the time of application -

    समिति को सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा अवगत कराया कि इस विषय का परीक्षण किया जाकर कार्यवाही की जायेगी।

    (**कार्यवाही** - ऊर्जा विभाग)

11. Forests - Laying of OFC in the permitted ROW Corridor of Principle Road Authority after seeking due permission -

    इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वन विभाग द्वारा अवगत कराया कि RoW नीति का पालन किया जायेगा।

12. Exemption from rejection of NOC on the ground of non-submission of registered agreement.

उक्त बिन्दु के बारे में प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समिति को बताया कि इस संबंध में वर्तमान दूरसंचार नीति में संशोधन पर विचार किया जायेगा।

(**कार्यवाही** - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

13. Non Acceptance of NOC by Land Development Authority - इस संबंध में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्पष्ट किया कि इस बारे में जिला कलेक्टरों एवं विकास कर्ता संस्थाओं के लिए नीति के अनुरूप निर्देश जारी किये जायेंगे।

(**कार्यवाही** - नगरीय विकास एवं आवास विभाग)

14. The District registrar are demanding land diversion, however, as per Policy Telecom towers exempted from provisions of MP Bhoomi Vikas Yojna -

Status : It has already clarified in existing Telecom Policy - 2023 at clause no. 16.

15. Non adherence of collector license for use of government land by Home departments, Govt University, Agriculture department and universities and Discom land -

इस संबंध में प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नीति अनुरूप दिशा-निर्देश अन्य संबंधित विभागों को जारी किये जायेगें।

(**कार्यवाही** - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

16. Strong EMF radiation advocacy required in all districts Headquarters of MP as despite of collector permission, officers below the rank of collector are passing stay order on ground of public objection and EMF radiation -

समिति द्वारा निर्देशित किया कि राज्य में दूरसंचार विभाग द्वारा नियमित EMF Radiation Awareness Workshops आयोजित की जाये।

17. समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त विभागों/प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में नागरिकों को दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने में आ रही कठिनाईयों का समाधान नियमानुसार प्राथमिकता से किया जाये।

(**कार्यवाही** - समस्त संबंधित विभाग, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, भारत संचार निगम लि., COAI, DIPA, ISPA एवं समस्त सेवाप्रदाता संस्थायें)

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

(अजीजा सरशार जफ़र)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

Annexure - I

Government of Madhya Pradesh
Department of Science & Technology

Attendance - Sheet

In the chairperson Chief Secretary on 28-March-2024 for review meeting of "State Broadband Committee" -

Sr. No.	Name of the Officer	Designation	Name of the Department
1	Sh. J. N. Kansotiya	Addl. Chief Secretary	Forest Department
2	Sh. Neeraj Mandloi	Principal Secretary	Urban Development and Housing
3	Sh. D. P. Ahuja	Principal Secretary	PWD
4	Sh. Nikunj Srivastava	Principal Secretary	Science & Technology
5	Sh. Raghuraj Rajendran	Secretary	Energy Department
6	Sh. Sanjeev Singh	ED, E&Co.	Environment
7	Sh. Anand Khare	Addl. DG	DoT, GoI Bhopal
8	Ms. Aziza Sarshar Zafar	Dy. Secretary	Science & Technology
9	Sh. Radheshyam Parmar	DDG	DoT Bhopal
10	Sh. Mithilesh Kumar	DDG	DoT, Bhopal
11	Sh. Sunil Kumar	CGM	BSNL Bhopal
12	Sh. Rohit Rawal	Legal	Representative (DIPA)
13	Sh Rajiv Pandey	Representative	Representative (COAI)
14	Sh. Prashant Tandel	Representative	Representative (ISPAI)

परिशिष्ट-2

राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक दिनांक 28/12/2021 का पालन प्रतिवेदन

(i) **UTI fees reduction as per RoW 2021** -

Status : It has been reduced to Rs. 1000 per km vide order dated 14-12-2022.

(ii) Online portal for UTI (Underground Telecom Infrastructure) may be considered for development.

Status : towerapp.mp.gov.in has been developed which is a single window clearance system for the establishment of underground, rooftop, and RoW telecom infrastructure. **towerapp.mp.gov.in** is working successfully.

(iii) **Pending permissions** -

Status : Deemed functionality has been enabled for private and government lands/buildings except forest lands. Due to which there is very low pendency.

(iv) **Exemption on property tax**. The telecom infrastructure installed on Government and Private land/buildings would be exempted from the payment of property tax to the local bodies under its jurisdiction.

Status : It has been included in Telecom Policy - 2023 at clause - 16.

(v) **Renewal of licenses.**

Renewal of license on submission of valid TSP/ISP/IP license. The fees for renewal is Rs. 10,000/- per mobile tower.

Status : It has been included in guidelines of Telecom Policy - 2023 at clause - 18.

(vi) **Shifting of tower locations**.

If required, shifting is allowed within 7 meters in any direction from the allotted location, only by intimating to licensing authority through online portal.

Status : It has been included in Telecom Policy - 2023 at clause - 7.

(vii) DCRI - Formation of IDCC.

इस संबंध में समिति द्वारा Inter Departmental Coordination Committee को निर्देशित किया कि DCRI से संबंधित गतिविधियों के लिए SPOC का नामांकन किया जाकर समीक्षा की जाये।

(**कार्यवाही** - स्टेट ब्राडबैण्ड कमेटी के सदस्य संबंधित समस्त विभाग एवं संस्थाऐं)

(viii) Common Duct policy by State. इस संबंध में समिति द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को निर्देशित किया कि (समिति गठित कर) राज्य की Common Duct Policy एवं संक्षेपिका का प्रारूप तैयार कर प्रारूप पर समस्त संबंधित विभागों के अभिमत को शामिल कर नीति पर मंत्रिपरिषद से माह जून 2024 में अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(**कार्यवाही** - नगरीय विकास एवं आवास विभाग)

(ix) DLTC - Formation of DLTC at district level and holding of regular meeting.

Status : DLTC के संबंध में विभाग द्वारा आदेश क्र./ एसएनटी/14/0077/2022/2-41 दिनांक 07/08/2023 द्वारा जारी दूरसंचार नीति दिशा-निर्देश की कंडिका 5 में प्रावधान किया गया है।

(x) CBuD - Proliferation of CBuD usage, mandatory use of CBuD, Reporting of unauthorised digging.

Status : इस संबंध में विभाग द्वारा पत्र क्र. SNT/10/0008/2021/41-2; दिनांक 10-08-2023 एवं 15-09-2023 द्वारा CBuD App का उपयोग

किये जाने के संबंध में संबंधित विभागो के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस बारे में प्रमुख सचिव(S&T) द्वारा CBuD App के उपयोग के संबंध में और अधिक जागरूकता तथा सजगता लाने की आवश्यकता व्यक्त की गई।

CBuD के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक BSNL द्वारा समिति को सुझाव दिया कि CBuD से संबंधित कार्यक्षेत्र की समस्त निविदाओं में CuBD का उपयोग अनिवार्य रूप से किये जाने की शर्त को शामिल करने हेतु शासन स्तर से निर्देश जारी किये जाना सार्थक होगा।

(**कार्यवाही** - समिति के सदस्य संबंधित विभाग एवं संस्थायें)